

जल्द लागू होगा नियम

पहली व दूसरी श्रेणी के विवि ही करा सकेंगे पीएचडी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

उदयपुर. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने पीएचडी करवाने के लिए विश्वविद्यालयों के मापदंड तय कर दिए हैं। जल्दी ही अपने स्तर पीएचडी की उपाधि देने का अधिकार सिर्फ आयोग की बनाई पहली व दूसरी श्रेणी के विश्वविद्यालयों को ही रहेगा। इसके लिए आयोग ने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नेक) के अंक व नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) की मेरिट को आधार बनाया है। यूजीसी के गजट नोटिफिकेशन के बाद यह नियम देशभर के विश्वविद्यालयों

प्रदेश के सिर्फ ग्यारह विवि शामिल...

नेक की वेबसाइट के अनुसार आयोग से तय मापदंड के आधार पर प्रदेशभर के 11 विवि ही अपने स्तर पर पीएचडी करवा सकेंगे। इनमें प्रदेश के तीन राजस्थान विवि जयपुर, सुखाड़िया विवि उदयपुर व महर्षि दयानंद सरस्वती विवि अजमेर, एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय अजमेर तथा जयपुर के दो निजी व पांच मान्य विश्वविद्यालय शामिल हैं।

एनआईआरएफ व
नेक की वरीयता
बनेगी आधार

में लागू हो जाएगा। मोहनलाल सुखाड़िया विवि के कुलपति प्रो. जे.पी. शर्मा ने बताया कि आयोग ने पीएचडी के अधिकार के मानक तय करने के लिए नेक की ओर से संस्थान को मिले अंक व एनआईआरएफ से मिली रैंकिंग के आधार पर तीन श्रेणियां बनाई

हैं। इन्हीं के आधार पर पीएचडी कराने के अधिकार दिए जाएंगे। पहली श्रेणी में उन संस्थानों को शामिल किया गया है, जिन्होंने नेक से ए व अधिक ग्रेड यानी 4 अंकों में से 3.5 व इससे अधिक अंक पाए हों या एनआईआरएफ की पहली 50

संस्थानों की वरीयता सूची में लगातार दो साल तक जगह बनाई हो। दूसरी श्रेणी में बी प्लस ग्रेड (3.01 से 3.49 अंक) या एनआईआरएफ की 51 से 100 की सूची में जगह वाले संस्थान शामिल होंगे, जबकि शेष विवि तीसरी श्रेणी में होंगे।

दूसरे विवि के पास
नेट-स्लेट और सेट
पास का विकल्प

दोनों श्रेणियों से बाहर रहने वाले विश्वविद्यालय भी पीएचडी तो करवा सकेंगे, लेकिन वे सिर्फ नेट, स्लेट व सेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही यह उपाधि दिलवा सकेंगे। वह अपने स्तर पर प्रवेश परीक्षा व साक्षात्कार कर पीएचडी नहीं करवा सकेंगे। आयोग के अनुसार अगर कोई विश्वविद्यालय ग्रेडिंग में पिछड़ता है और मापदण्ड से बाहर हो जाता है तो उसे 30 दिन के भीतर आयोग को सूचित करना होगा।

